R.M.M. College SAHARSA
Arvind Kumar Trivedi
Part Time Teacher
Sub. Evidence

साक्ष्य अधिनियम निर्माण की विशेष आवश्यकता

1872 साक्ष्य अधिनियम होता है कि संहिताबद्ध करने का अर्थ अभिप्राय होता है कि जो विषय उसके अन्तर्गत होते हैं वे एक ही अधिनियम में सुगमता से मिल सकें। अधिनियम के बाहर उनको तलाश करने की आवश्यकता न हो। साक्ष्य सम्बन्धी नियम का ज्ञान साक्ष्य अधिनियम 1872 से प्राप्त हो सकता है, 1872 से पूर्व देश में सर्वत्र एक ही प्रकार के साक्ष्य नियम प्रचलन में नहीं थे। विभिन्न भागों और न्यायालयों में भिन्न-भिन्न नियमों का पालन हुआ करता था। कहीं इंग्लैंड में प्रचलित नियमों का अनुसरण किया जाता था और कहीं मुस्लिम विधि द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन होता था। साक्ष्य अधिनियम विभिन्नता को दूर करके विभिन्न नियमों को एकत्र किया और उनके परिमार्जित करके और पुराने नियमों की आवश्यकतानुसार संशोधित किया। साक्ष्य नियमों का संहिताबद्ध

Scanned with CamScanner

होना न्यायालयों एवं उन सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं के लिये जिनका न्याय प्रशासन के कार्य से सम्बन्ध है, हितकारी एवं लाभदायक है। नियमों का निश्चित रूप से अपरिभाषित होने के कारण न्यायालय वकीलवर्ग सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता था परन्तु साक्ष्य (Admissible) अथवा अग्राह्य (Inadmissible) ठहराने के लिये पूर्व निश्चित कसौटी ग्राह्य साक्ष्य और अग्राह्य साक्ष्य ठहराने के कठिनाई का सामना पड़ता रहा है और सर्वत्र अनिवार्य रूप से कठिनाई का सामना होता रहा है,

साक्ष्य अधिनियम से वकील और न्यायालय का बोझ हल्का हो गया है, न्यायालय भी निश्चित नियमों का अनुसरण निर्णय होकर कर सकते हैं, सन्देह अथवा शंका की कोई बात नहीं रह जाती है। इस प्रकार न्याय प्रशासन का कार्य एक सुनिश्चित प्रणाली का अनुसरण करता जाता है, सुव्यवस्था से सरलता आती है, न्यायालयों के प्रति विश्वास बना रहता है।